न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1963–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 33/अ–6/2013–14.

.....

श्रीमती शशि दुबे पत्नी राममोहन दुबे
निवासी शनिचरा मोहल्ला, होशंगाबाद,
तहसील व जिला होशंगाबाद

..... आवेदिका

विरूद्ध

श्रीमती माया मेहरा पत्नी अयोध्या प्रसाद मेहरा
निवासी रायपुर छत्तीसगढ़

..... अनावेदिका

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदिका
श्री विनोद श्रीवास्तव, अभिभाषक–अनावेदिका

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 2/3/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल ''संहिता'' कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील व जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.5.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका द्वारा तहसीलदार होशंगाबाद के समक्ष ग्राम नौहर स्थित भूमि सर्वे कमांक 3/2 रकबा 2 एकड़ भूमि कय किये जाने के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 33/अ–6/13–14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाकर आपत्ति प्रस्तुत की गई । तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–5–2016 को आदेश पारित कर आवेदिका की आपत्ति निरस्त की गई ।

तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को 7 दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना थे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । अावेदिका के अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–5–16 को आदेश पारित करने में सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन नहीं किया गया है ।

(2) अनावेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में केवल अपने नाम का उल्लेख किया गया है जबकि उनके शीर्षक में मृतक भूमिस्वामी अयोध्याप्रसाद मेहरा के सभी वारिसानों का उल्लेख करना था ।

(3) तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदिका द्वारा मृतक भूमिस्वामी के वारिसान नेहा मेहरा, रागिनी मेहरा व मेघा मेहरा को पक्षकार नहीं बनाया गया है अतः पक्षकार के कुसंयोजन के आधार पर निगरानी इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य थी ।

(4) तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 32 के प्रावधानों को बिना समझे आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदिका द्वारा उसके स्वर्गवासी पति के द्वारा क्रय की गई समस्त भूमि पर वारिसाना नामान्तरण किये जाने संबंधी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया तथा आवेदन पत्र में सभी वारिसानों के नाम का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । यह भी कहा गया कि तहसीलदार द्वारा पटवारी से मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों की जानकारी मंगायी जाती है, इस कारण भी आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आपत्ति आधारहीन होने से निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामान्तरण की कार्यवाही अति संक्षिप्त प्रकृति की होती है, परन्तु आवेदिका द्वारा तहसीलदार के समक्ष प्रचलित प्रकरण का निराकरण नहीं

होने देने के उद्देश्य से आपत्तियॉ प्रस्तुत कर रही है, जिसे निरस्त करने में तहसीलदार द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करने में तो पूर्णतः वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु तहसीलदार द्वारा मृत पक्षकारों के वैध वारिसानों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना प्रकरण से परिलक्षित नहीं होता है । अतः प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि मृतक पक्षकारों के सभी वारिसानों को विधिवत् सूचना एवं सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर